न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 243 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/259)
पंजीयन दिनांक– 06.07.2021
निर्णय दिनांक– 14.09.2021

1. श्रीमती नाथी बाई पत्नि कालुलाल रेगर पुत्री श्री किशन बोला, निवासी बेगूं, तहसील बेगूं हाल मुकाम फलासिया, तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाडा।

–अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती गेकी बाई पत्नि मोहनलाल रेगर पुत्री श्री किशन बोला, निवासी बेगूं, हाल निवासी हरिपुरा, ग्राम पंचायत दौलतपुरा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।
2. सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री संजय सेन – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध तहसीलदार बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ के
प्रकरण संख्या 01 / 2021 निर्णय दिनांक 12.04.2021

निर्णय

दिनांक 14.09.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार, बेगूं, के प्रकरण संख्या 01 / 2021 निर्णय दिनांक 12.04.2021 के विरूद्ध दिनांक 06.07.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम, प्रार्थना बाबत स्थगन आदेश के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खासा का खेडा, आराजी संख्या 192 मी रकबा 0.2270 हैक्टेयर भूमि विरासत से नारायण बाई पत्नि स्व किशन, गेकी बाई पुत्री किशन बोला व अपीलांट नाथी बाई पुत्री किशन बोला के नाम दर्ज की गई उसके पश्चात् नारायणी बाई द्वारा स्वेच्छा से अपना हिस्सा अपीलांट व गेकी बाई के पक्ष में हकत्याग कर दिया जिससे आराजी संख्या 192, रकबा 0.2270 हैक्टेयर भूमि में गेकी बाई व नाथी बाई 1/2/–1/2 हिस्से की खातेदारी हो गई। तत्पश्चात गेकी बाई ने बेईमानी पूर्वक नाथी बाई को अपने हिस्से का बंटवारा कराने का कहकर गेकी बाई के हिस्से का हकत्याग दिनांक 11.02.2019 को अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया। तत्पश्चात गेकी बाई ने हकत्याग दिनांक 11.02.2019 के आधार पर नामांतरण खोले जाने बाबत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार, बेगूं को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 01/2021 दर्ज कर निर्णय दिनांक 12.04.2021 से रेस्पोडेंट के पक्ष में नामांतरण दायर करने का निर्णय पारित किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.04.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– *"हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 11.02.2019 का अवलोकन किया। हकत्याग पत्र पंजीकृत अनुसार नाथीबाई पिता श्री किशन बोला (रेगर) नि. बेगूं हाल पत्नि श्री कालूलाल रेगर नि. फलासिया, तहसील माण्डलगढ़, जिला भीलवाड़ा द्वारा श्रीमती गेकीबाई पिता श्री किशन बोला (रेगर) निवासी बेगूं के पक्ष में उप पंजीयक बेगूं द्वारा पंजीबद्ध हुआ है। वकील प्रतिवादी ने कार्यवाही स्थगित रखी जाने बाबत निवेदन किया परन्तु कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं रिपोर्ट पटवारी का गहन अध्ययन ओर मनन किया ओर इस निष्कर्ष पर पहुंचा हुं, कि मामले में किसी भी न्यायालय का स्थगन नही है तथा हकत्याग पत्र पंजीकृत है। इसलिए मुताबिक हकत्याग पत्र पंजीकृत दिनांक 11.02.2021 अनुसार ग्राम खांसा का खेड़ा की आराजी*

नम्बर 192 मी. रकबा 0.227 हैक्टेयर भूमि में श्रीमती नाथीबाई का हिस्सा श्रीमती गेकीबाई पिता श्री किशन बोला (रेगर) नि. बेगूं, तहसील बेगूं के पक्ष में नामांतरकरण दायर करने का निर्णय पारित किया जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सेन उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 03.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दहराते हुए अपनी बहस में बताया कि गेकीबाई ने बेईमानी पूर्वक नाथीबाई को अपने हिस्से का बंटवारा कराने का कहकर गेकीबाई के हिस्से का हकत्याग दिनांक 11.02.2019 को अपने पक्ष में निष्पादित करा लिया। नाथीबाई अनपढ़ व ग्रामीण महिला होकर अपनी बड़ी बहन पर विश्वास कर हकत्याग को बंटवारा समझकर उस पर अंगुठा निशानी कर दी तत्पश्चात गेकीबाई ने हकत्याग दिनांक 11.02.2019 के आधार पर नामांतरण खोले जाने बाबत जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपीलांट नाथी बाई को अपने साथ हुई धोखाधडी का ज्ञान होने पर सिविल न्यायालय, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ में हकत्याग निरस्त करये जाने हेतु नियमित वाद प्रस्तुत किया तथा अपनी बहन गेकीबाई के विरूद्ध फौजदारी कार्यवाही प्रथक से की तथा अपने साथ हुई धोखाधडी व अपीलांट द्वारा गेकीबाई के विरूद्ध हकत्याग निरस्तीकरण का वाद सिविल न्यायालय, बेगूं में विचाराधीन होने बाबत अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया फिर भी आनन–फानन में निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से काबिल निरस्त होते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाना

न्यायोचित होकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बेगूं द्वारा दिनांक 12.04.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.04.2021 को किया गया है जिसकी अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.07.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाप्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर कोरोना महामारी व माननीय उच्चतम न्यायालय के इस बाबत निर्देशों के साथ मयाद कण्डोन किये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदन में वर्णित तथ्यों व अखण्डित शपथ पत्र के कारण मयाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रकरण में अब हम गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि विवादित भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 को विरासत से प्राप्त हुई है तथा दोनों सगी बहने है। अपीलांट का यह कथन है कि हकत्याग पत्र निरस्तीकरण बाबत वाद प्रस्तुत किया जो पेंडिंग है इसलिए कार्यवाही स्थगित रखी जाये तथा फौजदारी कार्यवाही भी संस्थित कर रखी है तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर भी नही दिया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद उभयपक्षो के दस्तावेज देखने के बाद निर्णय पारित किया है अतएव सुनवाई में कोई खामी नही पायी जाती। प्ररकण में फौजदारी कार्यवाही में कोई निष्कर्ष प्रतिपादित हुआ हो ऐसा कोई तथ्य रेकर्ड पर नही है। अपीलांट स्वयं यह कहती है कि उसके द्वारा पंजीकृत हकत्याग को निरस्त करवाने का वाद सिविल न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। अपीलांट द्वारा इस हेतु उक्त वाद की प्रति भी प्रस्तुत की है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पंजीकृत दस्तावेज को जब तक कि वह विधि

विरूद्ध (वोईड ऐब इनिश्यों) नही हो, उसे सही मानने की उपधारणा है। इस प्रकरण में सिविल न्यायालय में पंजीकृत हकत्याग निरस्तीकरण वाद लम्बित अवश्य है परंतु उसमें कोई स्थगन आदेश नही है। सिर्फ वाद लम्बित होने के आधार पर पंजीकृत दस्तावेज को इगनोर नही किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप पंजीकृत दस्तावेज को मान्यता देते हुए नामांतरण खोलने का जो निर्णय पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नही पाते, अतएवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर